पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार तिथि — 30 फाल्गुन, 1933 (श०)
20 मार्च, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—03

(1) शिक्षा विभाग	..	..	02
(2) समाज कल्याण विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	03

प्राथमिकी दर्ज करना

''क''-36. श्री श्रवण कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, डुमरिया, गया के पत्रांक 283, दिनांक 4 नवम्बर, 2011 द्वारा श्रीमती गुलशन आरा को गया जिलान्तर्गत डुमरिया प्रखण्ड के कन्या मध्य विद्यालय, रामपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया है परन्तु उक्त आदेश का उल्लंघन कर आजतक उन्हें वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती मोहजबीं प्रवीण द्वारा विद्यालय कोष की राशि का गबन किया गया है जिसके लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक 132, दिनांक 12 जनवरी, 2012 द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, डुमरिया को उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है परन्तु आजतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती मोहजबीं प्रवीण को प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद से हटाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आदेश का कार्यान्वयन

''ख''-37. श्री श्रवण कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा(प्रा०शि०) विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, गया द्वारा ज्ञापांक 808, दिनांक 24 जुलाई, 2010 के माध्यम से ग्राम पंचायत नारायणपुर, प्रखण्ड डुमरिया, गया में शिक्षकों के पद पर गलत नियोजन करनेवाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने तथा अगर किसी भी अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ तो उसकी वसूली गलत नियोजन करनेवाले सभी व्यक्तियों से समानुपातिक रूप से करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, गया को निदेशित किया गया था परन्तु आजतक उक्त आदेश का पालन जिला शिक्षा अधीक्षक, गया द्वारा नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार उपरोक्त दोनों आदेशों का कार्यान्वयन कबतक कराने का विचार रखती है ?

राशि का वितरण

45. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित शीर्षक ''सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांटने में दिलचस्पी नहीं'' को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में राशि उपलब्धता के बावजूद पूरे राज्य में 45.85 प्रतिशत मामले लंबित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण में अररिया में 78 प्रतिशत, बेगूसराय में 69 प्रतिशत, मुंगेर में 62 प्रतिशत, जमुई में 56 प्रतिशत, मधेपुरा में 62 प्रतिशत, कटिहार में 64.75 प्रतिशत, खगड़िया में 54.75 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 56.58 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर में 57.88 प्रतिशत मामले लंबित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त उपलब्ध राशि सभी जिलों में वितरण कराने हेतु कौन-सा कारगर कदम कबतक उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 20 मार्च, 2012 (ई०)।

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

नोट-''क''-दिनांक 13 मार्च, 2012 को सदन द्वारा स्थगित।
''ख''-दिनांक 13 मार्च, 2012 को सदन द्वारा स्थगित।

बि०स०मु० (एल०ए०), 154-डी०टी०पी०--450